राजस्व अपील संख्या 37/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
अणदाराम पुत्र श्री कुस्टाराम जाति भील निवासी गांव कनोडा तहसील व जिला बाडमेर		1– तहसीलदार बाडमेर 2– भीखाराम पुत्र हीराराम 3– गोरखाराम पुत्र हीराराम दोनो जाति भील निवासी गांव कनोडा तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–3–2019 जिसे उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन पत्र संख्या 272/2014 अनवान अणदाराम बनाम तहसीलदार बाडमेर वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 संख्या 2 व 3 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 10–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट/प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व0 हीराराम के खातेदारी की भूमि ग्राम कनोडा, तहसील व जिला बाडमेर के खसरा नंबर 19 व 38 की आई हुई है । उक्त खातेदारी की भूमि के खसरा नंबर 19 रकबा 0.04 बीघा तथा खसरा नंबर 38 रकबा 47.16 बीघा कुल 48 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान वर्ष 1980 मे प्रार्थी को कर मौके पर प्रार्थी को काबिज कर दिया, तब से प्रार्थी इस क्रय सुदा भूमि पर अपनी ढाणी बनाकर कब्जा किये हुए है । बेचान दस्तावेज अनुसार खसरा नंबर 19 रकबा 0.04 बीघा व उससे लगता खसरा नंबर 38 मे से 47.16 बीघा भूमि का बेचान क्रिया गया है तथा दोनो खसरो के मध्य आम कटाण रास्ता है। खसरा नंबर 38 मे विक्रय की गई भूमि का विक्रेता ने अन्य खसरा नंबर 39 का सेढा होना बताया तथा प्रार्थी इन्ही सेढा व पडोस के मध्य काबिज है । हल्का पटवारी द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण खोला परंतु लट्ठा ट्रेस मे तरमीम विक्रय पत्र के विपरीत कर दी । अतः विक्रय पत्र के आधार पर एवं कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस मे दुरस्ती करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई एवं सलंग्न दस्तावेजो, मौका रिपोर्ट आदि का अवलोकन एवं पक्षकारो के तर्को पर मनन करने पर यह पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी/अपीलांट के खसरा नंबर 262/38 दर्ज है जिसकी तरमीम खसरा नंबर 38 की पूर्व माठ से बताई गई है । वह कब्जा काश्त अनुसार सही नही है । उक्त तरमीम का रकबा 47.16 बीघा न होकर लगभग 24.10

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

बीघा ही बनता है । बेचानकर्ता का जो मूल खसरा नंबर 38 का नवसृजित खसरा नंबर 261/38 है, जहां खातेदार अणदाराम का कब्जा काश्त मौके पर है, उक्त खसरा नंबर मे विभाजित बट्टा नंबर कब्जा काश्त से विपरीत दर्ज हो गया है । यदि प्रार्थी द्वारा बताये अनुसार नक्शे मे तरमीम दुरस्त की जाती है तो प्रार्थी का खेत दो भागो मे विभक्त हो जायेगा तथा उसे एक खेत से दुसरे खेत मे जाने का कोई रास्ता भी नही रहेगा । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान भी अंकित है । ऐसे मे प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाकर तद्नुसार तहसीलदार बाडमेर को राजस्व अभिलेख व लट्ठा ट्रैस मे तरमीम दुरस्ती करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19-3-2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 111 व 125 आर.एल.आर.एक्ट मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने के आवेदन को निरस्त करने एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने का आदेश प्रकरणो मे तथ्यो एवं परिस्थितियो तथा दस्तावेजो पर गौर किये बिना पारित करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर भरोसा करके मौका प्रतिवेदन के सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने का आदेश पारित करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे मूल खसरा नंबर 38 मौजा कनोडा के लट्ठा ट्रेस मे तरमीम पक्षकारान के कब्जा व विकय दस्तावेज के अनुसार करने का निवेदन किया था और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संबंध मे लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट गलत होने के कारण पुनः सही रूप से मौके की भौतिक रूप से जांच करके मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया था तथा यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाने पर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपने खातेदारी भूमि जो खरीद की थी, उसके बेचाननामे मे चारो दिशाएं अंकित है और उसके सलंग्न अपीलांट

न्यायालय ने अपीलांट एवं उसकी पत्नी के द्वारा खरीद की गई भूमि के बीच मे से जमीन रेस्पो0 अप्रार्थीगण को दे दी है, जो गलत रूप से दी गई है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर पूरे खसरे का परिवर्तन कर दिया गया है। इतना परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शे के आधार पर तरमीम करना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने यह अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–3–2019 निरस्त कर अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत आवेदन अनुसार मूल खसरा नंबर 38 मौजा कनोडा के लट्ठा ट्रेस मे तरमीम पक्षकारान के कब्जा व विक्रय दस्तावेज के अनुसार करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज कर पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर अप्रार्थी के तर्क पर भी गहनता से विचार कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–3–2019 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया । अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके द्वारा ग्राम कनोडा मे तहसील बाडमेर मे खरीदसुदा खसरा नंबर 19 रकबा 0.04 बिस्वा एवं खसरा नंबर 38 रकबा 47.16 बीघा भूमि की नक्शे मे की गई गलत तरमीम को दुरस्त करने का निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जाना प्रकट होता है । जबकि प्रार्थी/अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के सबंध मे आपत्ति प्रकट करते हुए पुनः सही मौके की भौतिक रूप से जांच कर मौका रिपार्ट उनकी उपस्थिति मे तलब करवाने का निवेदन किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की अपत्ति को खारीज करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इस न्यायालय द्वारा के

प्रस्तुत दलीलो तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विवेचन पश्चात अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–3–2019 को खारीज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार बाडमेर से दोनो पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका नक्शा एवं मौका रिपोर्ट तलब करें, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान के कब्जा व विक्रय दस्तावेजात का अवलोकन कर तथा हितबद्ध काश्तकारो की सुनवाई पश्चात पूर्ण विवेचन उपरांत पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 10–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर